न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 149/18 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2018/00458

अनवान्

1. श्री दौलतराम पिता वजेराम भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
2. भागवन्ती पुत्री वजेराम भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
3. श्री भगवतीलाल पिता वजेराम भील नाबालिग जरिये संरक्षक माता प्रताबीबाई भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
4. सुश्री कंकु पुत्री वजेराम भील नाबालिग जरिये संरक्षक माता प्रताबीबाई भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नारायण पिता रूपा मीणा निवासी ताणा तहसील भादसोदा जिला चित्तौडगढ।
2. श्री नारायण पिता लखमा भील निवासी कविता तहसील बडगांव जिला उदयपुर।
3. श्री कुका पिता उदा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली। **मृतक**

3/1 श्री हिरालाल पिता कुका भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
3/2 श्री रूपलाल पिता कुका भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
3/3 श्री दिनेश पिता कुका भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
3/4 श्री लेहरीलाल पिता कुका भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
3/5 श्री राजु पिता कुका भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
3/6 तुलसीबाई पिता कुका भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।
3/7 लीला पिता कुका भील निवासी तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली।

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तहसील मावली।
6. उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री पवन सेन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 06.10.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का गुडली तहसील मावली में आराजी नम्बर 470 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जमीन स्थित थी जो पूर्व में भेरा भील के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज था तथा भेरा जी के देहावसान उपरान्त उक्त आराजी नम्बर 470 की जमीन मोती, हमेरा, केसा, हरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

के नाम 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से से दर्ज हुई तथा कालान्तर में मोती की मृत्यु के बाद उक्त जमीन स्व. मोती जी के विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1 वजेराम व देवीलाल, लेहरीलाल, डालीबाई, नारायणीबाई के नाम पर दर्ज हुई तथा आराजी नम्बर 470 के नये नम्बर 470 रकबा 12 बिस्वा व 470/1 रकबा 13 बिस्वा, 470/2 रकबा 11 बिस्वा, 470/3 रकबा 12 बिस्वा है। उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पैतृक हैं।

2. यह कि हम प्रार्थीगण वजेराम जी के विधिक वारिस है परन्तु वजेराम जी ने उक्त पैतृक सम्पति को अपने स्वयं के हिस्से से अधिक अर्थात् हम प्रार्थीगणों के हिस्से सहित विक्रय कर दिया जबकि वजेराम जी को अपने हिस्से से अधिक जमीन विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उक्त जमीन, वजेराम जी को उनके पिता स्व. मोती जी से विरासत में प्राप्त हुई थी जिस कारण वजेराम जी को उक्त सम्पूर्ण जमीन बेचने का कोई हक एवं अधिकार नहीं मिलता हैं। उक्त आराजीयात के मूल पुरूष स्व. भेरा जी के देहावसान के बाद भेरा जी की भी विरासत उनके पूरे विधिक वारिसों के नाम पर दर्ज नहीं हुई क्योंकि स्व. भेरा जी के विधिक वारिस काली, लोगरी भी थी परन्तु उक्त आराजीयात के मौके पर कब्जा सभी वारिसों का बराबर रूप से चला आ रहा है परन्तु वजेराम व उसके भाईयों द्वारा सम्पूर्ण जमीन का विक्रय कर देने से क्रेता व भूमि दलाल हम प्रार्थीगणों को उक्त जमीन से बेदखल करने पर उतारू हैं। पूर्व में आराजी नम्बर 457 से 470 एक संयुक्त खातेदारी जमीन थी जिसमें कुका, वरदा, नन्दा, पोखर ने जमीनों का आदान प्रदान किया था व सुविधानुसार अपने–अपने हक एवं हिस्सेनुसार कब्जा प्राप्त किया था जिसमें हम प्रार्थीगण के पिता वजेराम व उनके भाई कुका, वरदा, नन्दा, पोखर व अन्य खातेदारों ने आराजी 464, 465 देने की बात कही परन्तु वर्तमान में आराजी नम्बर 464, 465 कुका के नाम दर्ज है इस बात का नाजायज फायदा उठाकर कुका, हम प्रार्थीगण को हमें हमारे कब्जे की जमीन से बेदखल करने पर उतारू है तथा आराजी नम्बर 470 के नये नम्बर 470 रकबा 12 बिस्वा व 470/1 रकबा 13 बिस्वा, 470/2 रकबा 11 बिस्वा, 470/3 रकबा 12 बिस्वा हैं। उक्त सम्पूर्ण आराजीयात पैतृक हैं।

3. यह कि उक्त प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित सजरा खानदान निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

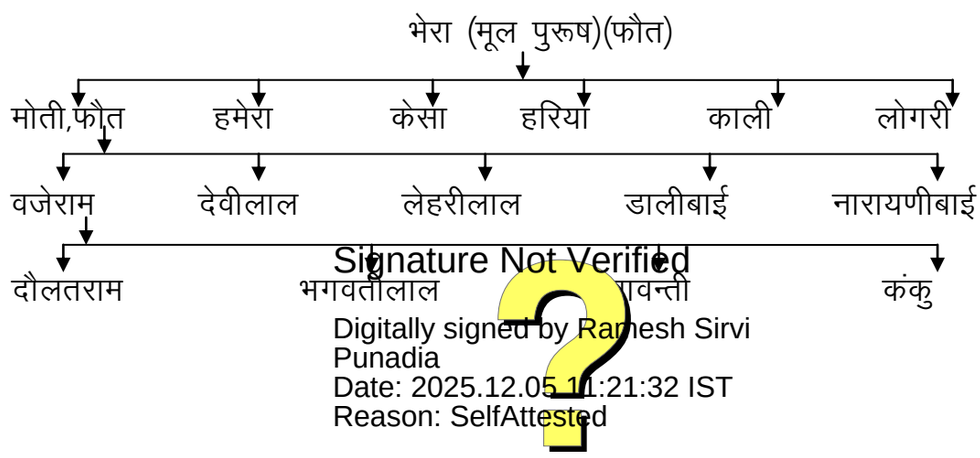

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात कृषि भूमि हम प्रार्थीगणों के पिता वजेराम जी को विरासत से प्राप्त हुई है परन्तु विगत कई समय से हम प्रार्थीगण हमारे पिता वजेराम के सम्पूर्ण हिस्से में से 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 हिस्से पर कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है परन्तु कुछ दिनों पूर्व विपक्षीगण मौके पर आये और हम प्रार्थीगण को हमारी कब्जे वाली जमीन में से बेदखल करने पर उतारू हुए इस पर हमने उनसे इसका कारण पूछा तो विपक्षीगणों ने कहा कि उक्त सम्पूर्ण जमीन हमने वजेराम जी से खरीद ली है अब तुम्हारा उक्त जमीन पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है इस पर हम प्रार्थीगणों ने पटवारी साहब से सम्पर्क किया और खाते की नकल निकलवाई तो पता चला कि हमारे पिता वजेराम जी ने हम प्रार्थीगणों के हिस्से की जमीन को भी विक्रय कर दिया है जबकि उक्त आराजीयात में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् हम प्रार्थीगण को जन्म से ही अधिकार मिल गये है इस कारण विपक्षीगणों के पक्ष में निष्पादित किया गया विक्रय पत्र हमारे हक एवं अधिकारों के मुकाबले शून्य है क्योंकि हमारे पिता वजेराम को हमारे हिस्से की जमीन बेचने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं।

5. यह कि उक्त आराजीयात पूर्व में हम प्रार्थीगण के पिता वजेराम के नाम पर दर्ज थी तथा हम प्रार्थीगण को जन्म से ही उपरोक्त वर्णित आराजीयात में हक अधिकार मिल जाने से हमारा भी हिस्सा बनता है इसलिए वजेराम जी के हिस्से हुई सम्पूर्ण जमीन में हम प्रार्थीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् हमारे हिस्से जमीन में हम प्रार्थीगण अपना अपना नाम खातेदारी हक से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है चूंकि हम प्रार्थीगण वजेराम जी के विधिक वारिस व जायन्दा पुत्र–पुत्री होने से वजेराम जी के नाम दर्ज आराजीयात में हमें जन्म से स्वामित्व एवं आधिपत्य मिल चुका था इसलिए हम प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित आराजीयात में अपना अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है यदि प्रार्थीगण का नाम उपरोक्त वर्णित आराजीयात में खातेदार की हैसियत से दर्ज नहीं किया गया तो हम प्रार्थीगण को होने वाली क्षति का मूल्यांकन रूपये पैसों में नहीं किया जा सकता हैं।

6. यह कि जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज एवं पूर्व में किया गया विक्रय पत्र हम प्रार्थीगण के अधिकारों के मुकाबले बेअसर होने के बावजूद विपक्षीगण नुमाईशी इन्द्राज के आधार पर हम प्रार्थीगणों को हमारे हक एवं हिस्से की जमीन से बेदखल करने पर उतारू है जबकि वजेराम जी के नाम पर दर्ज आराजीयात में हम प्रार्थीगणों को जन्म से स्वामित्व एवं आधिपत्य मिल चुका था इसलिये प्रार्थीगणों को उपरोक्त वर्णित जमीन में नुमाईशी इन्द्राज के आधार पर हमारे हिस्से की जमीन से महरूम व कब्जे से बेदखल करने का

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

कोई अधिकार नहीं मिलता है इसलिए विपक्षीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद करना आवश्यक हैं।

7. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 20.11.2018 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगणों द्वारा नुमाईशी इन्द्राज के आधार पर उक्त जमीन को विक्रय करने एवं उक्त आराजीयात से हम प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू हुए जिससे प्रार्थना पत्र कारण पैदा हुआ जो निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे की वो मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को विपक्षीगण रहन बेह, बक्षीस नहीं करे तथा इसमें कोई निर्माण नहीं करे तथा न प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल करे तथा प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, उसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं या उनके नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से न करावे, विपक्षीगण मौके एवं रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे।
8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 3 के विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व पूर्व में कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी हैं।
9. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपनी बहस में विपक्षी संख्या 1, 2 को वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होना बताकर खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती का कथन कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः—

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला—</u>* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 से 3 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी सम्पति होकर पूर्व में मूल पुरूष भेरा के नाम पर दर्ज थी जो विरासत से मोती, हमेरा, केसा, हरिया के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई तथा मोती के स्वर्गवास के पश्चात् वादग्रस्त भूमि मोती के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 वजेराम, देवीलाल, लेहरीलाल, डालीबाई, नारायणीबाई के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात् वजेराम द्वारा अपने हिस्से से अधिक अर्थात् प्रार्थीगणों के हिस्से सहित भूमि का विक्रय कर दिया। इसलिए प्रार्थीगण वजेराम के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम हिस्सेनुसार दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 3 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के मौरूस भेरा के नाम पर दर्ज थी परन्तु पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा इस कथन के सन्दर्भ में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के मौरूस भेरा के नाम पर दर्ज थी।

इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 470, 470/1, 470/2, 470/3 साबिक नम्बर 470 से बने थे परन्तु पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा इस कथन के सन्दर्भ में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि के साबिक नम्बर 470 थें जिससे नये नम्बर 470, 470/1, 470/2, 470/3 बने हैं।

इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि को वजेराम द्वारा विक्रय कर दी गई परन्तु पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा इस कथन के सन्दर्भ में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि को वजेराम द्वारा कब, किसे तथा कितनी भूमि विक्रय की गई हैं।

इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पिता वजेराम के नाम पर दर्ज थी परन्तु पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा इस कथन के सन्दर्भ में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता वजेराम के नाम पर दर्ज थी।

प्रार्थीगण द्वारा मौरूसी भूमि होना बताकर घोषणा चाही गई है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी प्रतीत होता हो। विपक्षीगण वर्तमान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 व अन्य सहखातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 से 3 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहते है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह साबित होता हो कि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हो। इसलिए यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

11. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा तुलसीदास जी की सराय पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता संख्या 51 पर दर्ज आराजी नम्बर 470/1 रकबा 13 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 2 व अन्य सहखातेदार के नाम, खाता संख्या 93 पर दर्ज आराजी नम्बर 470/2 रकबा 11 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम एवं खाता संख्या 208 पर दर्ज आराजी नम्बर 470, 470/3 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि अन्य खातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण जिन कथनो के आधार पर वादग्रस्त भूमि को अपनी मौरूसी सम्पति होना बताकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है उन [illegible] के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का हित निहित होना प्रतीत हो। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजो के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजो के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:32 IST
Reason: SelfAttested